

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

निम्नांकित कार्मिकों को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-
कार्मिकों का विवरण:-

S.N.	NAME AND POST	POSTING PLACE	DOB	JOURNEY PLACE AND PERIOD
1	SURESH CHAND RAIGER Senior Teacher Sanskrit	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHABRU JAIPUR	28-07-1982	SINGAPORE DATE 18/09/2023 TO 22/09/2023 (05 DAYS)
2	ARUNA RAJORIYA Teacher Level-1	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KUNHADI KOTA	31-12-1964	IRELAND, DUBLIN DATE 28/09/2023 TO 17/10/2023 (20 DAYS)
3	JITENDRA BEDA Teacher Level-2 English	OFFICE OF CHIEF BLOCK EDUCATION OFFICER, BLOCK KUCHAMAN, NAGAU	26-01-1989	DUBAI DATE 28/09/2023 TO 02/10/2023 (05 DAYS)
4	MANJU KUMAWAT Teacher Level-1	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ISWAL UDAIPUR	17-10-1965	18, Florance Daly Place Mount Roskill, Auckland 104 DATE 06/01/2024 TO 31/01/2024 (26 DAYS)

शर्त:-

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अयकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अयधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अयकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अयकाश अयधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जायेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानानुसार कार्यवाही अमल में लानी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- एक बार में स्वीकृत अयकाश में वृद्धि नहीं की जायेगी।
- विदेश से निजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अयकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
 - कार्मिक के अयकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तापित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लभित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अयकाश अयधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रयास में ठहरने का पूर्ण पता मय भोवाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जायेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जायेगी।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

सत्यमेव जयते

क्रमांक: शिथित-मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/2023/पार्ट-2/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग।
- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, जयपुर, कोटा, नागौर, उदयपुर।
- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने श्रावत।
- संबन्धित संस्थाप्रधान को भेजकर लेख है कि शिक्षण व्यवस्था बाधित न हो इसकी विद्यालय स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करे।
- संबन्धित कार्मिक।
- रक्षित पत्रायली।

दिनांक:

8 SEP 2023

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.09.17 14:20:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4726103

